न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 39/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/168

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सुखदेव पुत्र श्री धनसिंह 2. मेवसिंह पुत्र धनसिंह 3. सोहनसिंह पुत्र धनसिंह 4. पप्पुसिंह पुत्र धनसिंह, तमाम अकवाम रावत निवासी रातडिया, तहसील रायपुर, जिला पाली 5. देवराजसिंह पुत्र धनसिंह, जाति रावत निवासी 188 राजीन नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर (राजस्थान)		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार भुमिधारी सेन्दड़ा, तहसील रायपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सदाम काजी

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08.03.22

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सेन्दडा के राजस्व प्रकरण संख्या 30/2021 सरकार बनाम सुखदेव वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.08..2021 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का रातडिया ने अपीलाण्टगण को मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हेक्टयर किस्म गैर मुमकीन पहाड पर अतिक्रमी मानते हुए, टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीदार सेन्दडा के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार सेन्दडा ने प्रकरण संख्या 30/2021 दिनांक 16.07.2021 को दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलाण्टगण पेशी दिनांक 28.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। दिनांक 05.08.2021 को श्रीमान नायब तहसीलदार सेन्दडा द्वारा अपीलाण्टगण को अतिक्रमी मानकर मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्व बेदखली का आदेश पारित किया व 2 माह का सिविल कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया। जिसके सन्दर्भ में श्रीमान के न्यायालय में पुर्व से प्रकरण संख्या 16/2021 बअनवान सुखदेव बनाम सरकार विचाराधीन है। अपीलाण्ट को परेशान करने कि नियत से दुसरी बार उप तहसीलदार सेन्दडा द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। उप तहसीलदार सेन्दडा द्वारा अपीलाण्ट को आदेशित किया गया था कि मौके पर से अपीलाण्ट अपना कब्जा हटा ले व आगामी पेशी दिनांक 05.08.2021 मुकर्रर की गई जिस पर अपीलाण्टगण द्वारा उप तहसीलदार सेन्दडा के आदेश से पूर्व ही खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हैक्टयर पर से अपना सम्पुर्ण कब्जा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हटा लिया वर्तमान में अपीलाण्टगण का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर नही है सम्पुर्ण भूमि से कब्जा हटाने के संबध में अपीलाण्टगण ने शपथ पत्र भी श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया है एंव वर्तमान में अपीलाण्टगण का किसी प्रकार का गैर आराजी भुमि पर कब्जा नही है न ही उनका किसी प्रकार का हक है। उसके बाद भी उप तहसीलदार सेन्दडा द्वारा अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से आदेश पारित कर 02 माह सिविल कारावास एवं जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का रातडिया की मौका रिपोर्ट में पटवारी ने अंकित किया कि अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हैक्टर भूमि मे से लगभग 1 हैक्टयर से कब्जा हटा लिया है वर्तमान में खसरा नम्बर 3744 पर अपीलाण्ट का किसी प्रकार का कब्जा नही है। अपीलाण्ट संख्या 05 देवराजसिंह लगभग 15 वर्षो से अपनी पत्नी व बच्चो के साथ जोधपुर में निवासरत है। पटवारी हल्का रातडिया ने ग्रामवासी मोहनसिंह के साथ मिलकर अपीलाण्टगण को परेशान करने के नियत से प्रकरण दर्ज करवाया है, उप तहसीलदार सेन्दडा के आदेश दिनांक 05.08.2021 की आड में पुलिस अपीलाण्टगण को गिरफ्तार करने को उतारू है। सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज संख्या 352, आर. आर.टी. 2013(2) पेज संख्या 843,आर.आर.टी 2014–15(Supp.) पेज संख्या 728, आर.आर. टी. 2014–15(Supp.) पेज संख्या 681 एवं आर.आर.टी 2013(1) पेज संख्या 517 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी पर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्टगण का मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड पर संवत 2078 से नाजायत तौर से कब्जा/बाड किया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में आता है जिसके पूर्व में भी दिनांक 23.12.2020 को ग्राम रातडिया के ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की गई थी जिस पर दिनांक 12.01.2021 को ग्राम वासियों के समक्ष अतिक्रमण हटा कर पुनः कब्जा नही करने हेतु पाबंद किया गया था। लेकिन फिर भी अपीलाण्ट अतिक्रमण पर उतारू होने से पटवारी हल्का रातडिया द्वारा धारा 91 की टी.पी पेश की जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.02.2021 को प्रकरण संख्या 88/2021 दर्ज कर प्रकरण में दिनांक 18.02.2021 को आदेश पारित कर राजहित में अतिक्रमण हटवाया। अपीलाण्ट का जैर आराजी पर पुनः अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की पश्चातवर्ती टी.पी. पेश गई जिसके आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व पुनः धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पुनः प्रकरण दर्ज किया गया। जिसके सन्दर्भ में हल्का पटवारी सेन्दडा द्वारा इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण की उपस्थिति में उसके विरूद्व जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण आदतन अतिचारी है तथा वर्तमान में भी जैर आराजी भूमि पर मकान एवं बाडा बना कर कब्जा कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पटवारी हल्का रातडिया की मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी रातडिया ने अपीलाण्टगण द्वारा मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड की भूमि पर मकान एवं बाडा बनाकर अतिक्रमण करने से टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीलदार सेन्दडा के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 30/2021 बअनवान सरकार बनाम सुखदेव वगैरा, दिनांक 16.07.2021 को दर्ज करते हुए अपीलाण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्टगण दिनांक 28.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर अपीलाण्ट को आदेशित किया गया कि गैर आराजी से अपना अतिक्रमण हटा कर दिनांक 05.08.2021 को न्यायालय में पेश हो। लेकिन आदिनांक तक अपीलाण्टगण द्वारा जैर आराजी से अपना अतिक्रमण नही हटाया है जैर अपील आराजी के संबंध में पटवारी हल्का रातडिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्टगण का जैर अपील आराजी पर आज भी अतिक्रमण निर्बाध रूप से जारी है तथा उस पर मकान एवं बाडा बनाया हुआ है। इसकी ताईद में पटवारी हल्का रातडिया ने अपने पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं संवत् 2078 के पी–14 की प्रति पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण नहीं हटाया है जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है। इससे अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण आदतन अतिचारी है। जिससे जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार सेन्दडा के प्रकरण संख्या 30/2021 बअनवान सरकार बनाम सुखदेव वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार सेन्दडा को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 08.03.22को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली